

समझौता ज्ञापन
2019-20

के मध्य
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
तथा
नागर विमानन मंत्रालय

निगमित योजना एवं प्रबंधन सेवा विभाग
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के समझौता ज्ञापन का लक्ष्य

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	सामान्य 40%	निम्न 20%
क. अनिवार्य मानदंड										
(i)	हवाईअड्डा लीज राजस्व एवं अन्य आय को छोड़कर परिचालन से प्राप्त राजस्व*	रु. करोड़	10	8104* (अनुमानित)	उपलब्ध नहीं	9000	8500	8200	7900	7600
(ii)	परिचालन लाभ (नेट) को परिचालन से प्राप्त राजस्व (हवाईअड्डा लीज राजस्व को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में	%	20	न लाभ न हानि (राजस्व अनुमानित)	रु. 644.10 करोड़ का लाभ	1.50	1.00	0.75	0.60	0.50
(iii)	औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (PAT)	%	20	15 (राजस्व अनुमानित)	22.20	16.00	15.00	14.00	13.00	12.50

टिप्पणी:

- हवाईअड्डा लीज राजस्व को छोड़कर, जिसमें 6 हवाईअड्डे एवं अन्य आय शामिल है।

वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के समझौता ज्ञापन का लक्ष्य

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई अंक	वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	सामान्य 40%	निम्न 20%
ख. वैकल्पिक मानदंड									
(i)	उत्पादन दक्षता मापदंड – आरएनपी एपीसीएच प्रक्रियाओं के डिज़ाइन का 5 हवाईअड्डों पर कार्यान्वयन	दिनांक 4	-	-	01.02.20	15.02.20	28.02.20	15.03.20	31.03.20
(ii)	अनुसंधान एवं विकास (R&D), नवाचार एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन मापदंड – 4 अतिरिक्त हवाईअड्डों (अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, जयपुर) पर एयरपोर्ट सहयोगी निर्णय-प्रक्रिया (एसीडीएम) प्रणाली का कार्यान्वयन	दिनांक 5	-	-	01.02.20	15.02.20	28.02.20	15.03.20	31.03.20
(iii)	पूँजीगत व्यय (कैपेक्स)	रु. करोड़ 10	4195 (अनुमानित)	2504.38	5160.00	4100.00	3500.00	3000.00	2500.00

वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के समझौता ज्ञापन का लक्ष्य

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	सामान्य 40%	निम्न 20%
(iv)	वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए चालू CAPEX परियोजनाओं के मूल्य का प्रतिशत (समय/लागत वृद्धि के बिना) कुल चालू CAPEX अनुबंधों के मूल्य के सापेक्ष	%	4	-	-	100	90	80	70	60
(v)	व्यापार देयताएँ (नेट) – परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में	दिनों की संख्या	4	70	48	60	70	80	90	100
(vi)	कंपनी के विरुद्ध दावों में कमी, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है (समग्र आधार पर)	%	4	-	-	15.00	12.00	10.00	8.00	6.00
(vii)	अनुषंगी पूंजीगत व्यय सीपीएसई द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न किए जाने से संबंधित माइलस्टोन	%	3	30 (अनुमानित)	150	35	32	30	25	20

नोट:

पीएटी / औसत निवल मूल्य – आईक्लास

वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के समझौता ज्ञापन का लक्ष्य

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	2018-19 (अनुमानित)	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	सामान्य 40%	निम्न 20%
(viii)	मानव संसाधन प्रबंधन – मानव संसाधन मापदंडों की उपलब्धि (विवरण परिशिष्ट-A में)	संख्या	4	-	-	7	6	5	4	3
(ix)	मानव संसाधन प्रबंधन – पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएसएस) अथवा उसके समकक्ष के अगले स्तर की प्राप्ति	दिनांक	3	-	-	31.12.19	31.01.20	15.02.20	29.02.20	15.03.20
(x)	मानव संसाधन प्रबंधन – कर्मचारियों की क्षमता विकास कार्यक्रम (उच्च पदों के लिए उनकी तकनीकी एवं प्रबंधकीय दक्षताओं को सुदृढ़ करने हेतु, विशेष रूप से वेब लर्निंग कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए)	कार्यक्रमों की संख्या	3	-	-	10	9	8	7	6

वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के समझौता ज्ञापन का लक्ष्य

क्र. सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	वर्ष 2018-19 (अनुमानित)	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	सामान्य 40%	निम्न 20%
(xi)	अन्य क्षेत्र-विशिष्ट परिणामोन्मुख मापनीय मापदंड – एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे (एएसक्यू)	5-बिंदु पैमाना	3	4.64 (अनुमानित)	4.61	4.68	4.65	4.60	4.55	4.50
(xii)	अन्य क्षेत्र-विशिष्ट परिणामोन्मुख मापनीय मापदंड – सीपीएसई कॉन्क्लेव-2018 के संबंध में माइलस्टोन की पूर्ति (विवरण परिशिष्ट-ख में)	संख्या	3	-	-	5	4	3	2	1

फुटनोट :

- वर्ष के दौरान यदि किसी भी 6 आउटगोइंग हवाई अड्डों का राजस्व संयुक्त उद्यम (JV) भागीदारों को हस्तांतरण से पूर्व प्राप्त हुआ हो, तो उसे लक्ष्यों में जोड़ा जाएगा।
- यदि सीपीएसई का पूंजीगत व्यय (Capital Outlay) आरई चरण में कम हो जाता है, तो मूल्यांकन संशोधित आंकड़े के आधार पर किया जाएगा। कैपेक्स में पूंजीगत अनुदान (Capital Grants), डिपॉजिट वर्क्स, विशेष मरम्मत व्यय तथा जेवी हवाई अड्डों का कैपेक्स शामिल नहीं होगा, यदि उसे एएआई की पुस्तकों में पूंजीकृत (Capitalised) या प्रगति पर पूंजीगत कार्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- यदि प्रावधान (Provision) किया गया है, तो लक्ष्य उपलब्धि प्रावधानों को घटाकर (Net of Provisions) मानी जाएगी।
- यदि आईक्लास वर्ष 2019-20 में परिचालन राजस्व का 30% रियायत (Concession) के रूप में एएआई को भुगतान नहीं करता है, तो उपरोक्त लक्ष्य आनुपातिक रूप से बढ़ जाएंगे।

नोट (Note):

- वर्ष 2018-19 की वास्तविक उपलब्धियों को कम दर्शाने (Under-pitching) की स्थिति में, यदि आधार वर्ष के अनुमानित प्रदर्शन की तुलना में वास्तविक प्रदर्शन में सुधार होता है, तो लक्ष्यों में आनुपातिक समायोजन किया जा सकता है।
- समझौता ज्ञापन की वार्ता और मूल्यांकन, डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) वर्ष 2019-20 की उपलब्धियों का निर्धारण करते समय, यदि सीएजी/वैधानिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditors) द्वारा राजस्व/लाभ/अधिशेष को अधिक दर्शाने अथवा हानि/घाटे को कम दर्शाने संबंधी मात्रात्मक टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों में निर्धारित नकारात्मक अंकों के अतिरिक्त आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

(iv) निर्धारित लक्ष्य बिना किसी शर्त (Unconditional) के हैं तथा किसी भी आधार पर कोई समायोजन (Offset) स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों में निहित अतिरिक्त पात्रता मानदंडों (Additional Eligibility Criteria) के अनुपालन के अधीन होगा।

अध्यक्ष

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सचिव

नागर विमानन मंत्रालय
भारत सरकार

नई दिल्ली

दिनांक: 20/05/2019

परिशिष्ट – क

निरंतर प्रकृति के मानव संसाधन (एचआर) मानकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम. संख्या	मानव संसाधन (एचआर) मानक
1	सभी कार्यपालकों (ईओ एवं उससे उच्च) के संबंध में एसीआर/एपीएआर की ऑनलाइन प्रस्तुति को जारी रखना तथा एसीआर/एपीएआर लेखन के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना।
2	वरिष्ठ कार्यपालकों (सहायक महाप्रबंधक एवं उससे उच्च) के लिए त्रैमासिक सतर्कता स्वीकृति (Vigilance Clearance) के ऑनलाइन अद्यतन को जारी रखना।
3	उत्तराधिकार योजना (Succession Plan) का नियमित अद्यतन एवं निदेशक मंडल (Board of Directors) से उसकी स्वीकृति प्राप्त करना।
4	कार्यपालकों (ईओ एवं उससे ऊपर स्तर) के लिए बिना विलंब विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) आयोजित करने की प्रक्रिया को जारी रखना।
5	प्रतिभा प्रबंधन (Talent Management) एवं कैरियर प्रगति के लिए भारत के उत्कृष्टता केंद्रों (जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि) में कम-से-कम 3% कार्यपालकों को न्यूनतम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करना।
6	यदि कोई हो, तो मानव संसाधन ऑडिट की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
7	एफआर 56(j) के प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा एवं कार्यान्वयन करना तथा वर्ष के अंत में अनुपालन रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना।

सीपीएसई कॉन्क्लेव के संबंध में माइलस्टोन की सूची निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	माइलस्टोन	माइलस्टोन तारीख
1	08 हवाईअड्डों पर ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) का कार्यान्वयन	31-03-2020
2	आयात बिल में 20% की कमी	31-03-2020
3	सीएआरओ में प्रयोगशालाओं/उपकरणों/सिमुलेटरों को स्थापित करने हेतु विश्व-प्रसिद्ध अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्रों के साथ सहयोग	31-03-2020
4	न्यूनतम आवश्यक अवसंरचना/अनुसंधान संसाधनों के साथ अंतरिम अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना: डेटा सेंटर की स्थापना	31-03-2020
5	न्यूनतम आवश्यक अवसंरचना/अनुसंधान संसाधनों के साथ अंतरिम अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना: फास्ट-टाइम सिमुलेटर उपकरण/प्रयोगशालाओं की स्थापना	31-03-2020